कार्रवाई के
...सहित

न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी–सह–नीलाम पत्र पदाधिकारी,दुमका

सी0सी0 नं0–6/10–11

सदस्य सचिव, हंसडीहा लैम्पस, हंसडीहा।

बनाम

श्री विनोद कुमार शर्मा, पिता–नन्द कु0 शर्मा, ग्राम+पो0–हॅसडीहा, थाना–हॅसडीहा जिला–दुमका।

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश फलक	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
18/1/25	**आदेश** यह नीलाम पत्र सदस्य सचिव, हंसडीहा लैम्पस, हंसडीहा के अधियाचना पत्र के आधार पर कुल 731696/–(सात लाख एकतीस हजार छः सौ छियानवे) रू0 पर दिनांक–04.02.2011 को नीलाम पत्र न्यायालय द्वारा पंजीकृत कर सर्टिफिकेट देनदार को लोक मांग अधिनियम की धारा–7 के तहत नोटिश निर्गत किया गया। इस वाद में देनदार द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन पत्र अधियाची पदाधिकारी को इस न्यायालय के ज्ञापांक–09, दिनांक–04.02.2021 के द्वारा प्रेषित करते हुए विन्दुवार प्रतिवेदन की मांग की गयी जो अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में अधियाची पदाधिकारी को सुनवाई हेतु सुचना निर्गत किया गया। प्रकिया पालक ने प्रतिवेदित किया हंसडीहा लैम्पस को बन्द पाया एवं बिना तामिला वापस किया गया। पुनः इस न्यायालय के डी0बी0 सं0–07 दिनांक–23.02.24 के द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, दुमका को स्मारित किया गया परन्तु इसे गंभीरता से नहीं लिया गया जो लोक मांग अधिनियम के प्रतिकूल है। देनदार के द्वारा दाखिल आवेदन में इस वाद में निहित राशि कुल 731696/–(सात लाख एकतीस हजार छः सौ छियानवे) रू0 की वसूली हेतु प्रकियाधीन है तो दूसरी और संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां संथाल परगना, प्रमंडल, दुमका के न्यायालय द्वारा अधिकार वाद सं0–08/2015 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियां, दुमका बनाम भुदेव राय वगैरह में दिनांक 11.02.2016 कं निर्णयानुसार देनदार विनोद शर्मा को 353893.00 रू0 हेतु अधिभारित किया गया है। इतनी ही राशि की वसूली की प्रकिया नीलाम पत्र पदाधिकारी–सह–जिला सहकारिता पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में नीलाम पत्र वाद सं0–287/16–17 लंबित होने का उल्लेख करते हुए उक्त राशि के विरूद्ध 104000.00 रू0 जमा किये जाने का भी उललेख है। इस संबंध में इस न्यायालय के डी0बी0 94 दिनांक 27.12.24 द्वारा पुनः जिला सहकारिता पदाधिकारी, दुमका को स्मारित किया गया तदुपरांत जिला सहकारिता पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक–08 दिनांक–07.01.2025 के साथ नीलाम पत्र वाद सं0–287/16–17 में परित आदेश दिनांक–24.10.2017 एवं दिनांक–13.09.2017 प्राप्त। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद से संबंधित नीलाम पत्र वाद सं0–287/16–17 में वसूली की कार्यवाही जिला सहकारिता पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में लंबित है। एक ही व्यक्ति के विरूद्ध राशि वसूली की कार्यवाही दो अलग–अलग न्यायालय में लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि यह वाद संबंधित विभाग में	

ही लम्बित है एवं वसूलनीय राशि में से आंशिक राशि की वसूली की जा चुकी है।

अतः इस वाद की कार्यवाही......समाप्त...... की जाती है। जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–नीलाम पत्र पदाधिकारी, दुमका एवं देनदार को इस आशय की सूचना निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी
दुमका।

अनुमंडल पदाधिकारी
–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
दुमका।

D/B
28.1.25

Digitally signed by localhost
Date: 2025.06.04 12:52:41 +05:30
Location: 192.168.29.81